न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 04/2022
3. उनवान : छीतरमल पुत्र श्री घासीराम जाति जाट निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 05/02/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी अपीलांट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रलावता, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.4036 हैक्टेयर (5 बीघा 11 बिस्वा) जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में अपीलान्ट के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रही, शेष हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड रहा हैं। उससे पूर्व खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 में उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर कालू व गौरू पिता महादेव हिस्सेदारान काबिज काश्त रहे। उपखण्ड अधिकारी साभरलेक के निर्णय व डिक्री दिनाक 10/2/1977 की पालना में उपरोक्त वर्णित आराजी कालू व गौरू पिता महादेव से अपीलान्ट के पूर्वज घीसाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट के नाम जरिये नामान्तकरण सख्या 175 द्वारा दर्ज हुआ तथा नामान्तकरण संख्या 249 से विरासत अपीलान्ट के पिता घीसा की मृत्यु होने पर अपीलान्ट व उसके भाई कजोडमल के नाम तस्दीक हुआ। तत्पश्चात् अपीलान्ट के भाई कजोड पुत्र घासी द्वारा अपना हिस्सा 1/2 का बैचान भूराराम, तुलसीराम पिता पेमाराम, धन्नालाल, भगवाना पिता भूरा को कर दिया था। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजीयात अपीलान्ट के पूर्वजों से पूर्व व डिक्री उपरान्त पूर्वजों के नाम रही तथा पूर्वजों के उपरान्त अपीलान्ट मौके पर काबिज चला आ रहा हैं, को नजरअन्दाज करते हुये संवत 2057 से 2060 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/08/2004 से अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त कर माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज जी वाके देह के नाम दर्ज कर दिया। उक्त आराजीयात संवत 2011 से 2029 भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में कालू, गौरू पिता महादेव के नाम अंकित थी। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल ने क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 560 दिनाक 02/08/2004 को माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके देह के नाम तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया हैं। राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 109 जो जागीर रिजम्पशन एक्ट धारा 9 के तहत कालू, गौरू पिता महादेव के नाम दर्ज की गई। जिसका स्पष्ट उल्लेख भू–प्रबंध

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृ...) जयपुर

विभाग की खतौनी सम्वत 2011 से 2029 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट हैं। इसके उपरान्त न्यायालय निर्णय व डिक्री के आधार पर अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है तथा विरासत से अपीलान्ट के नाम दर्ज रही। कृषक का नाम बिना किसी वैध आदेश के विलोपित कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके देह दर्ज कर दिया। उक्त वर्णित आराजीयात कभी भी माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज नही रही। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित कालू, गौरू पिता महादेव के नाम कृषक/खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा निर्णय व डिक्री के पश्चात अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम व उनके मृत्यु के बाद अपीलान्ट के नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पडताल करने के बाद दर्ज हुआ, के उपरान्त अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वज खातेदार माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज होकर माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मन्दिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित कालू, गौरू पिता महादेव को माफी रिज्मपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम की प्रावधानों के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी वो ही भूमियों उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु यहां पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह कालू, गौरू पिता महादेव व उसके उपरान्त अपीलान्ट के पूर्वज व उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था, को दरकिनार करते हुये न्यायिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश विधि के स्पष्ट प्रावधानो के विपरीत पारित हैं, जो प्रारम्भत ही प्रभाव शून्य हैं। अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी व उनके पूर्व के खातेदारों का नाम बतौर कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा था, उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान की जांच कर विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर अपीलान्ट के हक में राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज की गई। यह अंकन स्वतः ही नही होते हैं। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नही किया जा सकता। उक्त भूमि 1952 में जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात् 08/02/1952 का माफी मन्दिर चतुभुर्ज जी वाके देह के नाम खुद काश्त भूमि दर्ज नही थी। बल्कि सम्वत 2011 से 2029 में कृषक के कॉलम में कालू, गौरू पिता महादेव दर्ज रही अर्थात् उक्त वर्णित भूमि पर भी काश्त कालू, गौरू पिता महादेव द्वारा की जा रही थी, जो जागीर एक्ट की धारा 9 एवं आरटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पालना में भूमि निरन्तर कृषको के नाम दर्ज रही। जिससे पैतृक अधिकार एवं स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त थे एवं जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुद काश्त की दर्ज रही थी, वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त में दर्ज नहीं थी, के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की तह तक नहीं जाकर अवलोकन किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/08/2004 द्वारा अपीलान्ट का व पूर्वाधिकारों से चले आ रहे अधिकारों को समाप्त कर दिया। खुदकाश्त भूमि धारा 2 (1) में परिभाषित हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में काश्त की जाती हैं "End cultivated personality" व खुदकाश्त मानी जावेगी। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिज्यूमशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकारण में भूमि का स्वामी

अतिरिक्त, जिला

राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्ट से पूर्व के पूर्वाधिकारी खातेदार हो गये। इन सब तथ्यों को व राजस्व अभिलेखों को अवलोकन किये बगैर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती हैं, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नही होते हैं। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जिसे कानून का ज्ञान नहीं हैं। जिसे उक्त आराजीयात के रिकार्ड बाबत् हल्का पटवारी से दिनांक 08/4/2022 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनका नाम के स्थान पर माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके सा.देह का नाम दर्ज देखकर अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 560 की नकल प्राप्त की। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नही हैं तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नहीं देखा जाता जहां गैरकानूनी तरीकों से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों का उल्लघंन हुआ, जो उक्त प्रकरण में हुआ हैं। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि जहा पर विधिक बिन्दू निहित हो वहां पर मियाद के तथ्य पर न्यायालय को सहानुभूति रखनी चाहिए। इस बाबत् विभिन्न न्यायालयों के दृष्टान्त हैं जो निम्नांकित है आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374, आर आर.टी. 2004(1) पेज 238, आर.आर. टी 2005 (1) पेज 228, आर.आर.टी 2002 (1) पेज 649, आर आर टी 2011 (2) पेज 1041, आर.आर.टी 2011 (2) पेज 829, आर आर टी 2006–07 पेज 443 है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 560 आदेश दिनांक 02/08/2004 को अपीलान्ट के हक व हिस्से तक अपास्त किया जावें।

अपील के संलग्न अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 560 दि0 02/0/2004, ना0सं0 175, ना0सं0 249, ना0सं0 284, जमाबन्दी संवत 2073–2076, 2056–2060, 2061–2064 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पंत्रांक 6925 दिनांक 30/12/2022 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित है कि ग्राम रलावता के आराजी खसरा नंबर 109 रकबा 1.4036 है0 खतौनी बंदोबस्त जमांबदी सम्वत् 2011–2029 के खाता सं0 117 में रकबा 5.11 बीघा कॉलम सं0 05 में कालू, गोरू पि0 महादेव हिस्सेदारान दर्ज है जो ना0 सं0 175 के द्वारा डिक्री से कालू, गोरू पि0 महादेव ब्राहम्ण के बजाय घीसाराम पि0 बीजाराम कौम जाट के नाम दर्ज हुआ। ना0सं0 249 से घीसा की विरासत पर कजोडमल छीतरमल पि0 घीसाराम दर्ज हुआ। तत्पश्चात् कजोडमल पुत्र घीसाराम ने अपना हि0 1/2 भूराराम तुलसीराम पि0 पेमाराम धन्नालाल भगवाना पि0 भूरा को बेचान कर दिया। इस प्रकार उक्त आराजीयात सम्वत् 2061–2064 तक छीतरमल पुत्र घासीराम हि0 1/2 भूराराम तुलसीराम पि0 पेमाराम धन्नालाल भगवान पि0 भूरा हि0 1/2 कोम जाट सा0 देह के नाम दर्ज थी जो ना0सं0 560 दिनाक 02.08.2004 से माफी मंदिर चतुर्भुज जी वाके देह दर्ज की गई। ख0नं0 109 खतौनी बदोबंस्त सम्वत् 2011–2029 के कॉलम सं0 5 में खातेदारान के नाम दर्ज है। मिसाल बदोबस्त सम्वत् 2011–2029 के कॉलम सख्या 5 में कालू गोरू पि0 महादेव कोम ब्राहम्ण दर्ज है। ना0 सं0 175 जरिये डिक्री अपीलाण्ट के पिता घीसाराम पुत्र बीजाराम के नाम दर्ज हुई। ना0सं0 560 दिनांक 02.08.2004 से

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

कृषकों के बजाय माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके देह दर्ज की गई। उक्त आराजियात मिसल बंदोबस्त के कॉलम सं. 5 में खातेदार का नाम दर्ज है। आराजी ख.नं. 109 सम्वत् 2011–2029 खतौनी बंदोबस्त के कॉलम संख्या 5 में कृषक कालू गोरू पि0 महादेव के नाम दर्ज रही। अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारी खातेदार काश्तकार थे। सम्वत् 2011–2029 खतौनी बंदोबस्त से जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में उक्त आराजी कृषक के नाम दर्ज रही। ना0सं0 560 दिनाक 02.08.2004 से माफी मंदिर दर्ज हुई।

अन्त में निवेदन किया गया है कि जमाबन्दी संवत् 2011–2029 से सेटलमेंट में कॉलम नम्बर 04 में माफी मंदिर का इन्द्राज होने से राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसरण में वर्णित भूमि रिकार्ड में अंकित की गई है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.4036 हैक्टेयर (5 बीघा 11 बिस्वा) जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में अपीलान्ट के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रही। अपीलान्ट मौके पर काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजीयात संवत 2011 से 2029 भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में कालू, गौरू पिता महादेव के नाम अंकित थी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/08/2004 से अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल ने अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 560 दिनाक 02/08/2004 को माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके देह के नाम तस्दीक कर दिया। कृषक का नाम बिना किसी वैध आदेश के विलोपित कर दिया गया। उक्त आराजीयात कभी भी माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज नही रही। माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी वो ही भूमियों उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु यहां पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह अपीलान्ट का नाम दर्ज था। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नही किया जा सकता। उक्त भूमि 1952 में जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात् 08/02/1952 का माफी मन्दिर चतुर्भुर्ज जी वाके देह के नाम खुद काश्त भूमि दर्ज नही थी बल्कि अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज थी, जो जागीर एक्ट की धारा 9 एवं आरटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पालना में भूमि निरन्तर कृषको के नाम दर्ज रही। जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुद काश्त की दर्ज रही थी, वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त में दर्ज नहीं थी, के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/08/2004 द्वारा अपीलान्ट का व पूर्वाधिकारों से चले आ रहे अधिकारों को समाप्त कर दिया। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिज्यूमशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकारण में भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्ट से पूर्व के पूर्वधिकारी खातेदार हो गये। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती हैं, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नही होते हैं। हल्का पटवारी से दिनांक 08/4/2022 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनका नाम के स्थान पर माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके सा.देह का नाम दर्ज देखकर अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 560 की नकल प्राप्त की। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

में मियाद सीमा लागू नही है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 560 आदेश दिनांक 02/08/2004 को अपीलान्ट के हक व हिस्से तक अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में भू-प्रबंध सेटलमेन्ट खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029, परिपत्र दिनांक 25.11.2011, 13.2.91, 11.06.2020, 24.05.2007 एवं संबंधित निर्णयों की प्रति पेश की है।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि आराजीयात सम्वत् 2061-2064 तक छीतरमल पुत्र घासीराम हि0 1/2 भूराराम तुलसीराम पि0 पेमाराम धन्नालाल भगवान पि0 भूरा हि0 1/2 कोम जाट सा0 देह के नाम दर्ज थी जो ना0सं0 560 दिनाक 02.08.2004 से माफी मंदिर चतुर्भुज जी वाके देह दर्ज की गई। ख0नं0 109 खतौनी बदोबंस्त सम्वत् 2011-2029 के कॉलम सं0 5 में खातेदारान के नाम दर्ज है। सम्वत् 2011-2029 खतौनी बंदोबस्त से जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 में उक्त आराजी कृषक के नाम दर्ज रही। ना0सं0 560 दिनाक 02.08.2004 से माफी मंदिर दर्ज हुई। जमाबन्दी संवत् 2011-2029 से सेटलमेंट में कॉलम नम्बर 04 में माफी मंदिर का इन्द्राज होने से राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसरण में वर्णित भूमि रिकॉर्ड में अंकित की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर धारा-5 के प्रार्थना पत्र के लिये न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, यहां प्रथम दृष्टया किसी पक्षकार के हितों के लिये उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहां विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है। RRT 2018(1) balmet & others v/s state of Rajasthan में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने स्पष्ट किया है कि "Delay is not fatal when the mutation is illegal "

इसलिये विलम्ब के बिन्दू पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित जवाब रिपोर्ट में निम्नानुसार अंकित है-

1. ग्राम रलावता के आराजी ख.नं. 109 रकबा 1.4036 है0 खतौनी बंदोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2011-2029 के खाता संख्या 117 में रकबा 5-11 बीघा कॉलम संख्या 5 में कालू, गोरु पि0 महादेव हिस्सेदारान दर्ज है। जो नामा0 संख्या 175 के द्वारा डिक्री से कालू गोरु पि0 महादेव ब्राह्मण की बजाय घीसाराम पि0 बीजाराम कौम जाट के नाम दर्ज हुआ। नामा0 संख्या 249 से घीसा की विरासत पर कजोडमल पि0 घीसाराम दर्ज हुआ। तत्पश्चात कजोडमल पुत्र घीसाराम ने अपना हिस्सा 1/2 भूराराम तुलसीराम पि0 पेमाराम, धन्नाराम, भगवान पि0 भूरा हि0 1/2 कौम जाट सा0 देह के नाम दर्ज थी जो ना0 सं0 560 दिनांक 2-8-2004 से माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके देह दर्ज की गई।
2. वर्णित ख0नं0 109 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011-2029 के कॉलम संख्या-5 में खातेदारान के नाम दर्ज है।

अतिरिक्त, जिला ...
(तृतीय) जयपुर